

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 92/23

तारीख दायर  
8/5/23

- 1- प्रभात पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी
- बनाम
- 1- विनोद पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- अशोक पुत्र बदीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- सुरेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- रतना देवी पत्नि नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट  
:-आदेश:-

—विपक्षीगण

दिनांक 10/5/23

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री प्रभात ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम आंट पटवार क्षेत्र रेसुन्दा, मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 72 आराजी नंबर 100/2 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आराजी नंबर 101/2 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, आराजी नंबर 179/3 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, आराजी नंबर 65/2 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नंबर 71/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आराजी नंबर 72/2 रकबा 0.5018 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.2545 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्नु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम आंट पटवार क्षेत्र रेसुन्दा, मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 72 आराजी नंबर 100/2 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आराजी नंबर 101/2 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, आराजी नंबर 179/3 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, आराजी नंबर 65/2 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नंबर 71/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आराजी नंबर 72/2 रकबा 0.5018 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.2545 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।  
आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों  
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 92/23

तारीख दायर

8/5/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 92/23 ..... पत्थरगढी बाबत।

- 1- प्रभात पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
—प्रार्थी
- बनाम
- 1- विनोद पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
2- अशोक पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
3- सुरेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
4- रतना देवी पत्नि नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम आंट पटवार क्षेत्र रेसुन्दा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 72 आराजी नंबर 100/2 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आराजी नंबर 101/2 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, आराजी नंबर 179/3 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, आराजी नंबर 65/2 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नंबर 71/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आराजी नंबर 72/2 रकबा 0.5018 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.2545 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



8  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा